जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005			
लोक प्राधिकरण का नाम - कोंकण रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेलापुर भवन, प्लॉट नं. 6, सेक्टर -11, सीबीडी-बेलापुर,			
जनसूचना अधिनियम संबन्धित मामलों के नोडल अधिकारी			
नाम	**पदनाम**	**दूरभाष**	**फ़ैक्स**
श्रीमती आशा शेट्टी	उप महाप्रबंधक (प्रशासन) / निगम कार्यालय	022-27587441	022-27572420
जन सूचना अधिकारी			
नाम	**पदनाम**	**दूरभाष**	**फ़ैक्स**
श्रीमती आशा शेट्टी	उप महाप्रबंधक (प्रशासन) / निगम कार्यालय	022-27587441	022-27572420
श्री बबन घाटगे	उप महाप्रबंधक(पीआर)/ कारवार	0832-2702579	0832-2172793
श्रीमती सायली शिंदे	क्षेत्रीय कार्मिक अधिकारी/ रत्नागिरी	02352-228207	02352-228905
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी			
श्री आशीष आपटे	प्रधान मुख्य सी. एवं दू सं इंजी / निगम कार्यालय	022-27587370	022-27572420
श्री बी. बी. निकम	क्षेत्र रेल प्रबंधक /कारवार	08382-238176	08382-283152
श्री रवींद्र कांबले	क्षेत्रीय रेल प्रबंधक/रत्नागिरी	02352-228922	02352-228905
अध्याय- II, धारा 4 (1) उप-खंड (ख) के अनुपालन में, सूचना इस प्रकार है:			
I)संगठन की विशिष्टिय,कृत्य और कर्तव्य			
सामान्य रूपरेखा			
कोकण रेल्वे कॉरपोरेशन लिमिटेड (KRCL) का गठन 19.07.1990 को रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल सरकार की राज्य सरकारों के बीच एक समझौते के तहत हुआ। दिनांक 20.8.1990 को भारत के पश्चिमी तट के उत्तर में रोहा (महाराष्ट्र में मुंबई के समीप) तथा दक्षिण में ठोकुर (मंगुलुरु कर्नाटक) के बीच एक बड़ी रेलवे लाइन से जोड़ने, आवश्यक वित्त जुटाने और उसके संचालन के लिए व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। यह परियोजना भारत में पहली बार बी. ओ. टी. (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर) अवधारणा के तहत परिकल्पित की गई थी। यह रेल मार्ग दिनांक 26.01.1998 को कार्यान्वित किया गया।			
बुनयादी ढांचा कार्य			
	दोहरीकरण: कोंकण रेल ने 30.08.2021 को यात्री यातायात के लिए रोहा और वीर के बीच दोहरी लाइन शुरू की है।		
	विद्युतीकरण: संपूर्ण कोंकण रेल मार्ग का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है और माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 20.06.2022 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है।		
	ढांचे मे वृद्धि: मार्ग की क्षमता बढ़ाने के लिए, पिछले तीन सालों मे अतिरिक्त 10 नए क्रोससिंग स्टेशनों और 08 नई लूप लाइन जोड़ी गयी है।		
निगम ने अपने उद्देश्यों के अनुसार निम्नलिखित अन्य कार्य भी किए हैं: -			

	सुरंग: आंध्र प्रदेश में ओक सुरंग, जम्मू-कश्मीर में जवाहर सुरंग और मुंबई-पुणे एक्सप्रेस द्रुतगति राजमार्ग की 11 सुरंगों का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया।
	आर.ओ.बी: झारखंड राज्य में 14 रोड-ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा किया गया है।
	उधमपुर - श्रीनगर- बारामूला रेल लिंक परियोजना एक राष्ट्रीय परियोजना है। इस परियोजना के कटरा-धरम खंड (किमी 30.00 से किमी 73.785 और किमी 101.635 किमी का निर्माण कार्य कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सौंपा गया है। इसमें 46.1 किमी (86%) मार्ग सुरंगों में से, 4.6 किमी (8.6%) मार्ग पुलों पर से और शेष 5.4% मार्ग कटिंगों और तटबंधों में से गुजरता है। मार्ग पर दो प्रतिष्ठित पुलों का निर्माण प्रगति पर है जिनमे चिनाब नदी पर आर्च पुल और अंजी खड़ पर केबल स्टे पुल शामिल है।
	साइडिंग: एमआरपीएल, मंगलौर : निर्माण कार्य पूरा किया गया। इस साईडिंग से विभिन्न वस्तुओं जैसे पेट कोक, सल्फर, बिटुमेन, पॉलीप्रोपाइलीन आदि की आवाजाही की सुविधा होगी। **बल्ली में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क**: यह साइडिंग कंटेनरों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाएगी।
	एनटीपीसी रेलवे साइडिंग परियोजना: एनटीपीसी ने कोंकण रेल को कर्नाटक राज्य में कुडगी सुपर थर्मल परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और कोयला परिवहन प्रणाली के निर्माण का कार्य और गाडरवारा, मध्य प्रदेश में सुपर थर्मल पावर प्लांट के लिए रेल कनेक्टिविटी का कार्य परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध (पीएमसी) के तहत प्रदान किया है।
	रोलिंग स्टॉक कंपोनेंट फैक्ट्री, लोटे, रत्नागिरि: एक मध्य रेलवे की परियोजना है, जिसे कोंकण रेल द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। यढ़ फैक्ट्री क्रिटिकल सेफ्टी घटकों की आपूर्ति के लिए एक नोडल केंद्र होगा जो मेल/एक्सप्रेस कोच और माल गाड़ियों के लिए पुर्जों आदि का निर्माण करेगा।
	थालास्सेरी से मैसुरू नई रेल लाइन: केरल रेल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड ने प्रस्तावित थालास्सेरी-मैसुरु नई रेलवे लाइन के लिए कोंकण रेल को व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा है।
	अन्नाकाम्पोइल-कल्लाडी-मेप्पाडी रोड टनल परियोजना: केरल सरकार ने परियोजना के निष्पादन के लिए कोंकण रेल को एस.पी.वी. के रूप में सौंपा है। दिनांक 08.05.2020 को कोंकण रेल, लोक निर्माण (एच) विभाग और केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

	रेल कनेक्टिविटी - वाइजहिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट, केरल: कोंकण रेलवे और विझिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ताकि टर्न बेस आधार पर समुद्र बंदरगाह को नेमम रेलवे स्टेशन, दक्षिणी रेलवे (17 किलोमीटर) से जोड़ा जा सके। कार्य के दायरे में डीपीआर तैयार करना और रेल कनेक्टिविटी के लिए निर्माण कार्यों का निष्पादन शामिल है।
	ईसीओआर वर्क्स: ईस्ट कोस्ट रेलवे ने कोंकण रेलवे को वायाडक्ट, मेजर ब्रिज, आरओबी और खुर्दा रोड-बोलांगीर नई बीजी रेल लिंक परियोजना के अन्य कार्यों के निर्माण का काम रु। 337.18 करोड़ फरवरी 2022 के महीने में आवंटित किया।
प्रौद्योगिकी	
	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन द्वारा निम्नलिखित तकनीकों का उनकी संकल्पना के साथ विकास किया गया है।
	स्वचालित ट्रेन परीक्षण प्रणाली (KR-ATES): KR-ATES एक तरह का वे साइड इक्विपमेंट (डब्लूएसई) है, जिसका कोंकण रेलवे की टीम द्वारा पूरी तरह से अवधारणा और डिज़ाइन किया गया है। इस प्रणाली से चलती ट्रेनों के रोलिंग स्टॉक में विभिन्न दोषों का पता लगाया जा सकता है, जो इसके माध्यम से गुजरती हैं और असामान्य और दुर्घटनाओं से बचने के लिए तत्काल अलर्ट प्रदान करता है।कोंकण रेलवे को इस **नवीन तकनीकी समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है**
	कोंकण रेल द्वारा डिजाइन किया हुआ नया स्वचालित कोच धुलाई सयंत्र: एसीडब्ल्यूपी ट्रेन के डिब्बों की, पंधरा मिनट के भीतर एक मल्टीस्टेज बाहरी सफाई व्यवस्था है। एसीडब्ल्यूपी शौचालयों के नीचे कोच के क्षेत्र को भी साफ करता है जो अन्यथा मैन्युअल रूप से साफ नहीं किया जाता है। कोच वाशिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी का ट्रीटमेंट के बाद पुन: उपयोग किया जाता है।
	बोल्डर नेटिंग और जिओ नेटिंग: कोंकण रेलवे के इंजीनियरों ने अपने मार्ग के पहाड़ियों की कटिंग में रेलवे पटरियों पर बोल्डर गिरने या मिट्टी की कटान को रोकने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित बोल्डर नेटिंग और जिओ-नेटिंग तकनीक की शुरुआत की है, इस तकनीक से मार्ग की संरक्षा काफी बढ़ी है।
	रो-रो (रोल-ऑन रोल-ऑफ): इस योजना का 26 जनवरी, 1999 को प्रारंभ किया गया था, जिसने वैगनों पर सीधे लदे हुए ट्रकों को ले जाने में सक्षम बनाया है और ट्रक ओपरेटरों के डीजल, टायर का घिसाव तथा ट्रकों के रख-रखाव के लिए खर्च कम किया है।

	सूचना प्रौद्योगिकी: कोंकण रेलवे के काम करने का एक मुख्य आधार है। आईटी ने कोंकण रेलवे को कुशल और मानव बल कम बने रहने में मदद की है। इस रेलवे अनुप्रयोग पैकेज में एकीकृत ईआरपी के विभिन्न मॉड्यूलों के माध्यम से कोंकण रेल के काम करने के सभी पहलुओं का समर्थन करता है, जो भारतीय रेल पर पहला और अभी भी अद्वितीय है।
अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएँ:	
	i. कोंकण रेलवे ने नेपाल रेलवे को 2 डेमू रेक की आपूर्ति का ऑर्डर पूरा कर लिया है। पूर्व मध्य रेलवे ने एलओए दिनांक 13.03.2020 के माध्यम से रक्सौल और काठमांडू के बीच नई बड़ी लाइन के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण प्रदान किया है। कार्य प्रगति पर है। ii. नेपाल रेलवे लाइन के जयनगर-कुर्था खंड का संचालन और रखरखाव कोंकण रेल द्वारा किया जा रहा है। यात्री सेवाओं का उद्घाटन भारत और नेपाल के माननीय प्रधानमंत्रियों द्वारा दिनांक 02.04.2022 को किया गया। iii. कोंकण रेल ने मैसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड, मगदी, केन्या के साथ दिसंबर 2022 को रेलवे सिस्टम के पुनर्वास के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
शेयर होल्डिंग पैटर्न	
	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी अधिनियम 1956 (अब कंपनी अधिनियम, 2013) के तहत शामिल एक सरकारी कंपनी है। 1. इक्विटी शेयर कैपिटल: निगम की अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी रु 4000,00,00,000 के मुकाबले इक्विटी शेयर कैपिटल के भुगतान का विवरण निम्नानुसार है:

शेयरधारक का नाम	**दिनांक 31.03.2023 तक प्रदत्त इक्विटी**	**शेयर होल्डिंग का प्रतिशत**
रेल मंत्रालय	9,19,24,74,000	51
महाराष्ट्र सरकार	3,96,54,24,000	22
गोवा सरकार	91,29,79,000	6
कर्नाटक सरकार	2,70,36,98,000	15
केरल सरकार	1,08,14,80,000	6
रेलवे बोर्ड के नामित सदस्य (संख्या -3)	3,000	
विशेष/निवासी आयुक्त, (महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल राज्य - संख्या -01	4,000	
कुल	17,85,60,62,000	100

2. वरीयता शेयर पूंजी: 31.03.2023 को निगम की अधिकृत और अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय, गैर-संचयी वरीयता शेयर पूंजी, रेल मंत्रालय दारा ₹4079,51,00,000 थी।

II) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

कोंकण रेल, एक रेलवे परिवहन संगठन है। कंपनी के अधिकारियों की शक्तियों को संगठन में सभी स्तरों पर स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इनके कर्तव्यों को विभागवार सौंपा गया है और अधिकारियों और कर्मचारियों के वैध कर्तव्यों को कोंकण रेल की अधिकृत वेबसाइट www.konkanrailway.com पर देखा जा सकता है। अधिकारियों की कार्य सूची टैब -> विभाग -> सामान्य प्रशासन के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

III) निर्णय लेने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया

संगठन की सभी गतिविधियां कार्य, भंडार, वित्त, स्थापना, सामान्य और विविध के लिए शक्तियों की अनुसूची द्वारा शासित होती हैं। ऐसे मामले जिनमें कार्यपालकों के विभिन्न स्तरों के लिए सीमाएं निर्धारित की गई हैं। प्रस्ताव को निर्णय लेने के लिए अगले उच्च स्तर पर भेज दिया जाता है, यदि वह किसी की शक्तियों की निर्धारित अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। कार्यकारी अधिकारियों का पदानुक्रम निम्नलिखित बढ़ती के क्रम मे है; जूनियर स्केल, सीनियर स्केल, जूनियर प्रशासनिक ग्रेड, चयन ग्रेड, सीनियर प्रशासनिक ग्रेड, उच्च प्रशासनिक ग्रेड, बोर्ड स्तर के निदेशक, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। निर्णय लेने के लिए कोई विशेष समय-सीमा नहीं है। हालाँकि, एसओपी के अनुसार संबंधित कार्यकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मामले की प्रकृति के आधार पर जल्द से जल्द निर्णय ले।

IV) कंपनी द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड

मुख्य मूल्य
रचनात्मक दृष्टिकोण
टीम भावना
कार्यनिष्पादन में उत्कृष्टता
कामकाजी व्यवहार में पारदर्शिता
जिम्मेदार और जवाबदेही संगठन

V) कंपनी द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम,अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

कोंकण रेल ने कंपनी में कारोबार के संचालन के लिए नियम बनाए हैं। मुख्य मार्गदर्शक दस्तावेज निम्नानुसार सूचीबद्ध हैं:

भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989
सामान्य और सहायक नियम तथा संरक्षा मैनुअल
स्थायी आदेश
कोंकण रेल द्वारा संदर्भित स्थानांतरण नीतियों और स्थानांतरण आदेशों सहित भारतीय रेल के द्वारा जारी विभिन्न कोड एवं नियमावली टैब -> विभाग -> सामान्य प्रशासन के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

VI)अपने द्वारा या अपने नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों के प्रवर्ग का विवरण।	
	कोंकण रेल, कंपनी के व्यावसाय से संबन्धित निम्म दस्तावेज रखता है। कार्य से संबन्धित तकनीकी दस्तावेज़ वाणिज्या जानकारी वार्षिक सांख्यिकी कर्मचारी डाटा नीति के मामले कोंकण रेल, कंपनी के व्यावसाय से संबन्धित निम्म दस्तावेज रखता है।
VII)किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ,जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	
	कोंकण रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति - विवरण टैब -> विभाग -> सामान्य प्रशासन के अंतर्गत उपलब्ध हैं।
VIII) ऐसे बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं,जिनका उनके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों ,समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी,विवरण	
	कोंकण रेल का संचालन उसके निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, तीन कार्यकारी निदेशक, रेल मंत्रालय के दो अंशकालिक निदेशक, सहभागी राज्यों के चार अंशकालिक निदेशक और चार स्वतंत्र निदेशक शामिल होते हैं। बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति, सीएसआर एंड डी समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, शेयरधारक समिति, आदि का गठन किया। इन समितियों की बैठकें सार्वजनिक रूप से खुली नहीं हैं और इनके कार्यवृत्त जनता के लिए उपलब्ध नहीं हैं। कोंकण रेल अपने बॉन्ड्स की लिस्टिंग के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) के साथ एक समान लिस्टिंग समझौता किया है और लिंक-इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोंकण रेलवे के बांड्स के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट हैं।
IX)कंपनी अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।**IX)कंपनी अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।**	
	महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर टैब -->हमसे संपर्क करें -->कोंकण रेलवे दूरभाष निर्देशिका के अंतर्गत उपलब्ध हैं।
X)कंपनी के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतीकर प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो।	
	कोंकण रेलवे सतवे वेतन आयोग के वेतनमान का पालन करती है। मासिक पारिश्रमिक विवरण टैब --> विभाग --> सामान्य प्रशासन के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

	अन्य लाभ जैसेः सीडीए, एचआरए, छुट्टी, चिकित्सा उपचार, वाहन, पीएफ, पेंशन, और ग्रेच्युटी कर्मचारियों को दी जाती है
XI)सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण की रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए कंपनी के प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट	
	पीएसयू होने के नाते कंपनी को अपनी वित्तीय स्थिति का प्रबंधन करना होता है। व्यय को पूरा करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कोई बजटीय प्रावधान नहीं किए गए हैं।
XII) सहायकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के	
	लागू नहीं
XIII) कंपनी द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ।।	
	भारतीय रेलवे पर लागू सभी किराया और मालभाड़ा रियायतें कोंकण रेल पर लागू हैं।
XIV) किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे,जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।XIV) किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे,जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।	
	कोंकण रेल की वेबसाइट वित्तीय विवरण जैसे कार्य के विभिन्न पहलुओं की जानकारी उपलब्ध करती है, जैसे बैलेंस शीट्स तथा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, अन औडिटेड त्रैमासिक परिणाम, निवेशक और यात्रियों के लिए आचार संहिता, पर्यटन संबंधी जानकारी, पी.एन.आर. स्थिति सहित वर्तमान ट्रेन स्थिति और विभिन्न तकनीकों, निविदाओं और संरक्षा संबंधी सूचना आदि की जानकारी भी कोंकण रेल की वेबसाइट konkanrailway.com पर उपलब्ध की गई है। इस वेब साइट पर अपने सवाल भेजे जा सकते हैं।
XV) सूचना अभिप्राय करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिनमें पुस्तकालय या वाचन कक्ष यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं;	
	कोंकण रेल किसी भी सार्वजनिक पुस्तकालय का रख-रखाव नहीं करती है। हालाँकि, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नागरिक जन सूचना अधिकारी को प्रश्न भेज सकते हैं या कोंकण रेल की सामान्य जानकारी वेब साइट से प्राप्त की जा सकती है।
XVI) जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम के विवरण।	
	जैसा कि ऊपर तालिका में बताया गया है
XVII) अन्य उपयोगी जानकारी।	
	पारदर्शिता ऑडिट 2020-21 पर सी.आई.सी. की रपट टैब --> विभाग --> सामान्य प्रशासन के अंतर्गत उपलब्ध है।

	के.ज.सु. अधि/ बेलापुर ने दिनांक 27-28/09/2021 को OTNS-DPE द्वारा जनसूचन अधिनियम पर आयोजित कार्यशाला मे भाग लिया
XVIII) भुगतान की विधि :	
	निदेशक, कार्मिक और प्रशिक्षण, लोक शिकायत और पेंशन विभाग की दिनांक 16.09.2005 की अधिसूचना के अनुसार डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक के माध्यम से "FA&CAO/KRCL विविध खाता- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 खाते में भुगतान कर सकते हैं। आवेदक https://rtionline.gov.in पर भेंट दे कर अर्जी दे सकते है।